

विषय:- प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 297/16 मो.शेख नवाब पिता श्री शेख नासिर विरुद्ध शासन एवं अन्य ।

-0-

विषयान्तर्गत प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 297/16 मो.शेख नवाब पिता श्री शेख नासिर विरुद्ध शासन एवं अन्य में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड खरगोन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। (आदेश की प्रति पृष्ठ क्रमांक 57 पर है)

प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश विधि विभाग से प्राप्त किया जाना है। मूल नस्ती शासन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया प्रतिरक्षण आदेश विधि विभाग से जारी कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- मूल नस्ती 1 से 57 तक

प्रमुख सचिव महोदय
लो.स्वा.या.वि.

विधि विभाग

Signature
8/3/16
प्रमुख अभियन्ता

3
10314

Signature

11/03/16
(श्री. अमिताभ अग्रवाली)
उप सचिव, पी.एच.ई.

7542
C.P.

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता पृष्ठ क्रमांक

XV=15

लोक स्वा. यां. विभाग

शाखा२.....



विषय:-

प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 297 / 18 मो.शेख नवाब पिता श्री शेख
नासिर विरुद्ध शासन एवं अन्य ।

-0-

पृष्ठ

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल


क्रमांक 130 / विधि शाखा- / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2016
// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 10/3/16

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त पत्र पृष्ठांकन क्रमांक एफ-16/142/2002/34-1 दिनांक 23.5.2002 में निहित निर्देशानुसार सिविल संहिता 1908 (अधिनियम संख्यांक-3) के आदेश 27 के नियम 01 तथा 02 अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.यां.वि. खंड खरगोन को प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 297/16 मो. शेख नवाब पिता श्री शेख नासिर विरुद्ध शासन एवं अन्य में मध्य प्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तियों पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने के लिए कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्य प्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अपनी बातों के साथ-साथ ऐसी रीति में, जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा।

- (1) प्रभारी अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे में तुरंत जांच करेगा, जिसकी आवश्यकता हो और याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए, और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनमें कि मामलों के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता की सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट से विनिर्दिष्ट रूप से की जावेगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईल, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गये सभी बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए, और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (5) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
क-वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
ख-प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
ग-उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है, जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
घ-मामलों के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, जिसमें वाद पत्र की सुनवाई तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और वाद मामले में प्रकरण क्रमांक और प्रगति के नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय, अगली कार्यवाही किये जाने के लिए, इस विभाग को भेजेगा।

- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने तथा राय प्राप्त करने और इसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, यह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा एवं वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक वह प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज छुपा हुआ नहीं रह जाये।
- (13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक नियुक्त है तो वह, जैसे ही वाद का निर्णय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को भेजेगा।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक नियुक्त है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामले में, जहां किसी वाद प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है अतएव वह आदेश की प्रति, जैसे ही पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करेगा।



प्रमुख अभियंता


लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्र. 1686/विधि शाखा- /प्र.अ./लो.स्वा.या.वि./2016
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 10/3/16

- (1) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन विधि, विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- (2) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- (3) अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर।
- (4) मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र इन्दौर।
- (5) अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल इन्दौर।
- (6) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड खरगोन एवं प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह प्राप्त करने और प्रकरण में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित प्रकरण की रिपोर्ट की एक प्रति विधि विभाग को सदैव ही भेजने हेतु अग्रेषित वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।



प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्य प्रदेश भोपाल

BY. REGD. A.D. POST

The High Court of Judicature at Jabalpur Bench at Indore

Indore 5126/2016

WP/297/2016

For the Registrar,
High Court of Judicature
Indore

2327
15.2.16
241
19-2-16
Against adm. order
Fixed for 11-04-2016
WP-DA-13
Respondent No. 1
18.2.16

For M.P.
High Principal Secretary, Government
Health Engineering Department
Vallabh Bhawan, Bhopal
Bhopal MADHYA PRADESH

2327
15.2.16

Indore 28-01-2016

to Respondent No. 1 in writ Petition (Mandamus) filed by Mohit, Son of Nawab, against the Government of Madhya Pradesh, for the issue of Quo Warranti Writ.
Case No. WP/ 297/ 2016

I am directed to inform you that the Mohit, Son of Nawab has filed a writ petition under Article 226 of the Constitution of India before this Court, and the writ petition (Mandamus) filed by Mohit, Son of Nawab, against the Government of Madhya Pradesh, for the issue of Quo Warranti Writ.

Since that you are required to comply with the writ petition through a duly authorized officer on or before 11-04-2016. If no response is received, the writ petition will be treated as abandoned.



Indore 5126/2016

Yours
11-02-16
C. P. IV REG.

4

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE

Writ Petition No. _____ /2016

(Other than service matter)

PETITIONER

Mohd. Sheikh Nawab S/o Sheikh Nasir

VERSUS

RESPONDENTS

State of Madhya Pradesh & others.

INDEX

S. NO.	Description of the documents	Page No.
1.	Writ Petition filed under Art. 226 of Constitution	01 - 07
2.	Brief Chronological list of events.	08 - 09
3.	Index of Annexures	10
4.	Affidavit in support of Writ petition	11 - 12
5.	P 2 ¹ - Copy of Registration	13 - 14
6.	P 2 ² - Copy of N.I.T. dated 24.3.05	15 - 18
7.	P 2 ³ - Copy of letter from N.I.T.	19 - 21
8.	P 2 ⁴ - Copy of the minutes of meeting with N.I.T.	22 - 23
9.	P 2 ⁵ - Copy of tender of petitioner of tube-well	24 - 35
10.	P 2 ⁶ - List of work executed by petitioner.	36
11.	P 2 ⁷ - Copy of project by letter of petitioner	37
12.	P 2 ⁸ - Copy of reminder letter dt. 10.7.06.	38

S. NO.	Description of the documents	Page No.
13.	<u>P-9</u> - Copy of letter dated 25.7.06.	39-40
14.	<u>P-10</u> - Copy of letter dated 4.8.06.	41
15.	<u>P-11</u> - Copy of letter dated 27.7.09.	42-44
16.	<u>P-12</u> - Copy of notice dated 3.10.15.	45-48
17.	<u>P-13</u> - Copy of impugned letter dt.16.2.15.	49
18.	Verification	50

Place: Indore

Date: 7th Jan 2018

Submitted by



Advocate for petitioner
ASHISH SHARMA

TC
Amr

6

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE

Writ Petition No. _____/2016

(Other than service matter)

PETITIONER

Mohd. Sheikh Nawab S/o Sheikh Nasir
Aged 54 years, Occupation- Contractor
R/o Diversion Road,
Khargone (M.P.)

V E R S U S

RESPONDENTS

1. State of M.P. through,
Principal Secretary, Government of M.P.
Public Health Engineering Department,
Mantralaya Vallabh Bhawan
Bhopal
2. Chief Engineer,
Public Health Engineering Department
Indore Circle
Indore.
3. Executive Engineer,
Public Health Engineering Department
Khargone.

(Writ Petition under Article 226 of the Constitution of India)

1. Particulars of the cause/order against which the petition is made.

Date of order

10.1.2016

Moved in and against

Prayed by

Chief Engineer, P.H.E. Deptt.

Name & designation

Indore Circle Indore.

of court or Tribunal

4. Subject matter in brief.

Petitioner is a registered as A-1 Contractor Respondent invited tender by N.T. for different works. Petitioner submitted his tenders for various tube-wells. The official rates was Rs.257/- per meter.

...2..

...2...

...2... executed successfully the works in respect of ... at the rate of Rs.257/- per meter. Payment in respect of work order from serial No. ... made at the rate of Rs.257/- per meter but subsequently without any reasons the respondent made payment at the rate of Rs.227/- per meter and ... Rs.30/- per meter and recovery of Rs.30/- per meter was made from all the bills. ... being aggrieved submitted his protest. Respondents re-payment at the rate of Rs. 257/- were made but nothing was done. Due to withholding payment at the rate of Rs.30/- he was put to huge loss of Rs.53,162/-. Therefore, petitioner filed a writ petition claiming payment at the rate of Rs. 257/- per meter and the said writ petition was disposed with the directions for taking appropriate remedies. As there was an amount of contract which was less than ... petitioner has remedy to file civil suits. ... petitioner issued notice to respondents but in the mean time a letter of recovery of Rs. ... issued by respondents whereas this ... in the earlier writ petition and ... being filed for the recovery of ...

2. A declaration that no proceeding on the same subject matter has been previously instituted in any court/tribunal. If instituted, the status or result thereof, along with copy of the order.

... declares that no proceedings on the same subject matter has been previously instituted in any court/tribunal.

...3...

T.C.
A.M.